अवलोकनार्थ

22/7/15

IDC sir

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक प. 10(12)नविवि/3/2011 जयपुर, दिनांक :-

सचिव,
जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण,
जयपुर/जोधपुर/अजमेर।

निदेशक,
स्थानीय निकाय विभाग,
जयपुर।

सचिव,
नगर विकास न्यास,
समस्त।

मुख्य नगर नियोजक,
राजस्थान,
जयपुर।

विषय :- पेट्रोल पम्प एवं एल.पी.जी. स्टोरेज गोदाम हेतु विभिन्न शहरों में भूखण्ड आरक्षित किये जाने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 11.02.2015 के द्वारा निर्देशित किया गया था कि पेट्रोल पम्प एवं एल.पी.जी. स्टोरेज गोदाम हेतु एन.ओ.सी. जारी किये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जावें कि रिटेल आउटलेट्स व एल.पी.जी. गोदाम के लिए पर्याप्त पहुँच मार्ग हो तथा यह आबादी क्षेत्र से दूर हो। उक्त प्रयोजनार्थ प्रस्तावित स्थल पॉवर ट्रांसमिशन लाईन, टेलीफोन लाईन आदि से दूर हो व उसमें किसी प्रकार के नदी, नाला, कैनाल का बहाव ना हो।

विभागीय पत्र क्र प.10(193)नविवि/3/2009पार्ट--II दिनांक 27.05.2015 के द्वारा गैस गोदाम, स्टोन क्रेशर उद्योग व ईंट भट्टा की स्थापना हेतु मानदण्ड निर्धारित कर जारी किये जा चुके है। गैस गोदाम हेतु निर्धारित मानदण्ड के बिन्दु सं. 3 में, "निकट स्थित किसी अन्य भवन, सार्वजनिक स्थल आवेदित भूखण्ड के लगते हुये स्थित भवन के बीच न्यूनतम दूरी 100 मीटर अनिवार्य है।" का उल्लेख है।

पुनः यह स्पष्ट किया जाता है कि पेट्रोल पम्प, एल.पी.जी. गोदाम आबादी क्षेत्र से दूर होने का आशय इन प्रस्तावित स्थलों से अन्य ज्वलनशील/खतरनाक पदार्थों के भण्डारण से पर्याप्त दूरी रखने से है उदाहरणार्थ – पेट्रोल पम्प प्रयोजनार्थ प्रस्तावित भूखण्ड के नजदीक ~~(100 मीटर की परिधि में)~~ गैस गोदाम व ऐसे उद्योग जिनमें इस तरह के ज्वलनशील/खतरनाक पदार्थ भण्डारण/उपयोग किये जाते है से पर्याप्त सुरक्षित दूरी रखी जावें।

भवदीय,

(सी. एस. मूथा)
संयुक्त शासन सचिव–प्रथम

A(A) 3686
23/7/15